क्रम संख्या–115

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0ए0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 13 जून, 2012 ई0

ज्येष्ठ 23, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 179/XXXVI(3)/2012/40(1)/2012

देहरादून, 13 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "**उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012**" पर दिनांक 11 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2012}

उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार स्वैच्छिक चकबंदी के लिए निर्गत अधिसूचना के अधीन पर्वतीय तहसीलों के राजस्व ग्रामों में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 161 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 161 की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात् एक नया परन्तुक निम्नवत और जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 53–क के अधीन ऐसे राजस्व ग्रामों में, जहाँ स्वैच्छिक चकबंदी हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना निर्गत की गयी है, पर प्रथम परन्तुक के उपबन्ध, ऐसी अधिसूचना के प्रारम्भ से तीन वर्ष तक लागू नहीं होंगे।"

आज्ञा से,
अजय चौधरी,
अपर सचिव।

No. 179/XXXVI(3)/2012/40(1)/2012
Dated Dehradun, June 13, 2012

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 10 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 11 June, 2012.

The Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2012

[Uttarakhand Act No. 10 of 2012]

An

Act

to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950 (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reform (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be extend to the hilly tehsils under the issued notification for the voluntary consolidation.

(3) It shall be come into force at once.

Amendment of section 161

2. After proviso of sub-section (1) of section 161 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950 (as applicable to the State of Uttarakhand), a new proviso shall be added as follows: namely :-

"Provided further that in such revenue villages where the notification is issued under section 4 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holding Act, 1953, the provisions of first proviso shall not be applicable till three years from the commencement of such notification of section 53-A of the said Act."

By Order,

AJAY CHAUDHARY,
Additional Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 विधायी/344–2012–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।